

फर्द अहकाम

अहमद नाला बनाम अलिफ अहमद

नाम न्यायालय SD-0 झालुडा

केस संख्या 136/15

दिनांक 04/15

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	9/10/23	<p>वकील उमयपक 5407 वार्ड कटियाल प्राप्त एके डील पत्रावली व निर्णय हेतु दिनांक 17/11/23 को पेश हो।</p> <p>उप खण्ड अधिकारी झालुडा जिला अदालत</p>
	17/11/23	<p>वकील उमयपक ने न्यायिक कार्य स्थगित रखा P.O. साहब अन्य प्रशासनिक कार्य से उदाहरण के तौर पर पत्रावली प्रकाशनी गत आदेशानुसार दिनांक 17/11/23 को पेश हो।</p> <p>प्रस्तुतकार</p>
	5/12/24	<p>वकील उमयपक 5407 वार्ड कटियाल प्राप्त एके डील पत्रावली व निर्णय हेतु दिनांक 01/11/24 को पेश हो।</p> <p>उप खण्ड अधिकारी झालुडा जिला अदालत</p>
	2/1/24	<p>1/1/24 का उदाहरण के तौर पर अमय पत्र उपस्थित/अभिभावक रघु ने न्यायिक कार्य स्थगित रखा/ P.O. साहब अन्य प्रशासनिक कार्य से उदाहरण के तौर पर प्रकाशनी गत आदेशानुसार दिनांक 01/01/24 को पेश हो।</p> <p>(रीडर)</p>
	9/5/24	<p>पत्रावली पेश हुई दिने पत्रों के वकील उमयपक उल्लेख उद्धरण में श्रीमान राजसुभाषी अधिकारी महोदय अहमद के निर्णय हीना अपेक्षित है। एक एक ईक उद्धरण के कोई शर्तवाली किता आता अपेक्षित नहीं समझते है। ना न्यायालय के डील पत्रावली अहमद हेतु पर दर्ज कर ही आवेगी। महोदय शर्तवाली पत्रावली स्थगित की जाती है। पत्रावली नम्बर से उदाहरण है।</p> <p>उप खण्ड अधिकारी झालुडा जिला अदालत</p>